(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 24/2024-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 2 सितम्बर, 2024

सा.का.नि.... (अ), - केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2022, जिसे संख्या सा.का.नि. 498 (अ), दिनांक 30 जून, 2022 में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्र. सं. 1 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि " मोटर स्पिरिट, सामान्यता जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, जब भूटान के अलावा अन्य देशों को निर्यात के लिए क्लीयर किया गया हो " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्र. सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थपित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"1क	2710	मोटर स्पिरिट, सामान्यता जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, जब भूटान को निर्यात के लिए क्लीयर किया गया हो	शून्य प्रति लीटर" ।

(iii) क्र. सं. 2 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि " मोटर स्पिरिट, सामान्यता जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, जब भूटान के अलावा अन्य देशों को निर्यात के लिए क्लीयर किया गया हो " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्र. सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थपित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
“3	2710	हाई स्पीड डीजल ऑइल, जब भूटान को निर्यात के लिए क्लीयर किया गया हो	शून्य प्रति लीटर” ।

2. पैराग्राफ 2 को लोप किया जाएगा;

3. यह अधिसूचना 3 सितम्बर, 2024 से प्रवृत्त होगी ।

[फाइल संख्या 190354/257/2023-टीआरयू]

(अम्रीता टाइटस)

उप सचिव भारत सरकार

नोट : मुख्य अधिसूचना संख्या 10/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2022 जिसे सा.का.नि. संख्या 498 (अ), दिनांक 30 जून, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 12/2023- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 3 मार्च, 2023 जिसे सा.का.नि. संख्या 168(अ), दिनांक 3 मार्च, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।